समाचार–प्रकाशनार्थ :–

स्वच्छता की बुनियाद मध्यप्रदेश में रतलाम नगर को पुरस्कार मिलने पर निगम आयुक्त श्री झारिया का सम्मान

रतलाम 24 सितम्बर । प्रशासनिक अकादमी भोपाल में आयोजित स्वच्छता प्ररेणा कार्यशाला एवं स्वच्छता की बुनियाद अभियान कार्यक्रम में रतलाम नगर निगम को एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) में द्वितीय व कम्पोस्ट प्लांट (गीले कचरे से खाद) के क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया का निगम अधिकारी एवं कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यूनियन तथा नागरिकों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर व मिठाइ खिलाकर मुंह मीठा करवाकर बधाई प्रेषित की।

प्रशासनिक अकादमी भोपाल में आयोजित स्वच्छता प्ररेणा कार्यशाला एवं स्वच्छता की बुनियाद अभियान कार्यक्रम में निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर 24 सितम्बर को नगर निगम कार्यालय आने पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया का पुष्प माला व पुष्प गुच्छ से सम्मान कर अपनी खुशी का इजहार किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर कहा कि रतलाम नगर निगम को एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) में द्वितीय व कम्पोस्ट प्लांट (गीले कचरे से खाद) के क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त करने का श्रेय सभी अधिकारी कर्मचारी व नागरिकों को जाता है क्योकि सभी के सहयोग से यह संभव हो पाया है इसलिये सभी सम्मान के हकदार है।

इस अवसर पर उज्जैन संभाग अधीक्षण यंत्री श्री प्रदीप निगम, कार्यपालन यंत्री श्री आर. आर. जारोलिया, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री मनीष तिवारी सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

निर्माणाधीन सिटी फोर लेन का संभाग के अधीक्षण यंत्री ने किया निरीक्षण

रतलाम 24 सितम्बर । उज्जैन संभाग के अधीक्षण यंत्री श्री प्रदीप निगम व कार्यपालन यंत्री श्री आर.आर. जारोलिया ने निर्माणाधीन सिटी फोर लेन का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व निगम इंजीनियरों के साथ कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने अधीक्षण यंत्री श्री निगम व कार्यपालन यंत्री श्री जारोलिया सर्वप्रथम दो बत्ती से डाट की पुल तक निर्माणाधीन फोर लेन का अवलाकन करवाकर सड़क की लम्बाई, चौड़ाई व ढलान की जानकारी से अवगत कराया साथ इस बात की भी जानकारी दी की इस सड़क पर वर्षा के पानी का बहाव अधिक रहता है इस हेतु पानी निकासो के लिये ड्रेनेज व चेम्बर का निर्माण करवाया गया है जिससे वर्षा के पानी की निकासो सुगमता से हो सकें।

महाराजा सज्जन सिंह जी की प्रतिमा से कानवेंट स्कूल तिराहे तक की फोर लेन सड़क के निरीक्षण के दौरान श्री निगम ने यातायात की स्थिति की जानकारी लेकर कहा कि सड़क के डिवाईडरो का इस प्रकार से निर्माण कराया जाये कि चौराहे पर यातायात बाधित ना होकर नागरिकों को सुविधाा हो।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, श्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।

सुभाष शॉपिंग काम्पलेक्स का निगम आयुक्त श्री झारिया ने किया निरीक्षण

रतलाम 21 सितम्बर । महू रोड स्थित सभाष शाँपिग काम्पलेक्स को नवीन स्वरुप देने के लिए यहां किए जा रहे सुधार कार्यो का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोकनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी के साथ किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निरीक्षण के दौरान सुधार कार्य में ओर अधिक गति लाये जाने के निर्देश दिये जाने साथ ही यह भी निर्देश दिये कि काम्पलेक्स की शत–प्रतिशत दुकानों का विक्रय हो इस हेतु दुकानों व निविदा के संबंध में जानकारी लेने आने वाले नागरिकों का संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया जाये साथ ही दुकानों का भी अवलोकन काराया जाये।

इस अवसर पर रतलाम नगर निगम को एमआरएफ (मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) में द्वितीय व कम्पोस्ट प्लांट (गीले कचरे से खाद) के क्षेत्र में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर श्री शैलेन्द्र गोठवाल, श्री बलवंत भाटी, श्री राकेश परमार व क्षेत्रिय दुकानदारों द्वारा निगम आयुक्त श्री झारिया का पुष्पहारों से सम्मान किया व बधाई प्रेषित की।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 24 सितम्बर को 83 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 24 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 24 सितम्बर शुक्रवार को 83 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

24 सितम्बर शुक्रवार को डम्पर से 37200, ट्रेक्टर 7365 व काम्पेक्टर सूखा कचरा 38465 किलो इस तरह कुल 83030 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

रतलाम 24 सितम्बर। अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कर 8 आश्रय स्थलों की स्थापना की है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य क लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412–270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8–8 घन्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो0नं0 9300885504, इश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो0 नं0 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो0 नं0 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त किया गया है ।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 24 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को क किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 24 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारो है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झान में एक–एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्ड स्प्रे मषीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

1261 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 24 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2696 हितग्राहियों द्वारा आवेदन पस्तुत किये गये है जिसमें से 1549 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 1241 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 24 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/– का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा एसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/– का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/–

का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 24 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी का पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 24 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / **24.09.2021** / न.पा.निगम, रतलाम.